

कमांक
प्रति,

/709/आउशि/संबद्धता/12,

कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेशशासन

सतपुडा भवन, भोपाल-462004

भोपाल, दिनांक

28/2/13

कुल सचिव,

बरकतउल्लाह विश्वविद्यालय,

भोपाल

विषय: मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 24(Xii) एवं(एक)(v) एवं धारा 35(j)
के अन्तर्गत अनुमति-अशासकीय श्री सत्यसाईं इंस्टीट्यूट आफ मैनेजमेंट सीहोर
संदर्भ: संस्था का आवेदन पत्र दिनांक 30.11.12

—00—

उपरोक्त विषयांतर्गत आयुष्मति एजुकेशन एण्ड सोशल सोसायटी, भोपाल द्वारा संचालित अशासकीय श्री सत्यसाईं इंस्टीट्यूट आफ मैनेजमेंट, सीहोर द्वारा सत्र 2013-14 के लिये निम्न विषय/पाठ्यक्रम प्रारंभ करने हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किया जाता है:-

विषय/पाठ्यक्रम

1. एम0एससी0-कम्प्यूटर साइंस, रसायन, भौतिक-उत्तराखंड

संस्था के महाविद्यालय भवन संबंधी दस्तावेज शासकीय निकाय से अनुमोदित नहीं होने के कारण एम0ए0-पूर्वार्द्ध-अंग्रेजी एवं पीजीडीसीए0 पाठ्यक्रम अमान्य किये जाते हैं।

2/ विश्वविद्यालय संबद्धता से पूर्व संस्था से निम्न पूर्तियाँ कराई जाना सुनिश्चित करें:-

अ) संस्था कालेज कोड 28 के अन्तर्गत नियुक्तियों आवश्यक रूप से कर ले।

ब) संस्था को सत्र 2012-13 की आडिट रिपोर्ट 02 माह में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

3/ विश्वविद्यालय संबद्धता देने के पूर्व उक्त बिन्दु की पूर्ति सुनिश्चित कर ले, अन्यथा यह अनुमति स्वमेव निरस्त मानी जावेगी।

4/ उक्त पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित नहीं होने की स्थिति में यह अनुमति/अनुशंसा प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा।

5/ अशासकीय महाविद्यालय से संबंधित सामान्य शर्तें एवं नियम यथावत रहेंगे। संस्था द्वारा कोई असत्य जानकारी देने की स्थिति में अनुमति स्वमेव अमान्य मानी जावेगी।

(आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित)

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी,

उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक

28/2/13

पृ० कमांक

/709/आउशि/संबद्धता/12,

प्रतिलिपि:-सूचनार्थ व योग्य आवश्यक कार्यवाही हेतु-

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
2. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, भोपाल होशंगाबाद संभाग, भोपाल
3. प्राचार्य, शासकीय अग्रणी चन्द्रशेखर आजाद पीजी महाविद्यालय, सीहोर
4. प्राचार्य, अशासकीय श्री सत्यसाईं इंस्टीट्यूट आफ मैनेजमेंट सीहोर

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी,

उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश

कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेशशासन

CR-2

2238

कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश

सतपुड़ा भवन, भोपाल-462004

क्रमांक
प्रति,

/709/आउशि/सम्बद्धता/12

भोपाल, दिनांक-

22/4/13

कुलसचिव,
बरकतउल्ला विश्वविद्यालय,
भोपाल, म0प्र0।

विषय:- मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 24(xii) एवं 26 (एक) (v) एवं धारा 35

(j) के अन्तर्गत अनुमति-अशासकीय श्री सत्यसाईं इंस्टीट्यूट आफ मैनेजमेंट, सीहोर

संदर्भ:- संस्था का द्वितीय पुर्नविचार आवेदन पत्र दिनांक 8.4.2013

—0—

उपरोक्त विषयान्तर्गत अशासकीय श्री सत्यसाईं इंस्टीट्यूट आफ मैनेजमेंट, सीहोर को कार्यालयीन पत्र क्र. 1931-32/709/आउशि/संबद्ध/12, दिनांक-28.3.13 द्वारा सत्र 2013-14 के लिये पी0जी0डी0सी0ए0 की अनुमति का प्रकरण नक्शे में निर्मित क्षेत्रफल का उल्लेख न होने एवं भवन निर्माण की अनुमति तथा पूर्णतया प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण प्रकरण अमान्य किया गया था।

संस्था द्वारा द्वितीय पुर्नविचार अभ्यावेदन के साथ रिव्यू शुल्क एवं उक्त दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने के कारण पी0जी0डी0सी0ए0 की अनुमति प्रदान की जाती है।
(आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित)

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी

उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक-

22/4/13

पृ0 क्रमांक

2239

/709/आउशि/सम्बद्धता/12

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ व योग्य आवश्यक कार्यवाही हेतु-

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
2. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, भोपाल होशंगाबाद संभाग, भोपाल।
3. प्राचार्य, शासकीय अग्रणी स्नातकोत्तर महाविद्यालय, सीहोर।
4. प्राचार्य, अशासकीय श्री सत्यसाईं इंस्टीट्यूट आफ मैनेजमेंट, सीहोर।

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी

उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश

कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्य प्रदेश
सतपुडा भवन, भोपाल-462004

क्रमांक
प्रति,

/533/आउशि/संबद्ध/11

भोपाल, दिनांक-

कुलसचिव,
बरकतउल्ला विश्वविद्यालय,
भोपाल, म०प्र०।

विषय:- मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 24(xii) एवं 26(एक)(v) एवं धारा 35(j) के
अन्तर्गत अनुमति - अशासकीय श्री सत्यसाई इस्टी. आफ मैनेजमेंट सीहोर।
संस्था का आवेदन पत्र दिनांक 31.3.2011

उपरोक्त विषयांतर्गत संस्था का नाम आयुष्मति एजुकेशन सोशल सोसाइटी भोपाल द्वारा
अशासकीय श्री सत्यसाई इस्टी. आफ मैनेजमेंट सीहोर को सत्र 2011-12 से निम्नानुसार कक्षाएँ/पाठ्यक्रम
प्रारंभ करने हेतु अनुमति/अनुशंसा प्रमाण पत्र जारी किया जाता है:-

विषय/पाठ्यक्रम

1. बी०ए० - तृतीय - अर्थशास्त्र, राजनीतिशा. इतिहास, समाजशा., कम्प्यूटर एप्ली., आ.पा.

2. बी०सी०ए० - तृतीय

3. बी०काम० - तृतीय - प्लेन एवं कम्प्यूटर

4. बी०बी०ए० - तृतीय

5. बी०एस०ए० - तृतीय - भौतिकी, रसायन, प्राणीशा. वनस्पतिशा. गणित, कम्प्यूटर एप्ली.

इलेक्ट्रॉनिक्स, आई.टी. आ.पा.

2/ संस्था द्वारा संबद्धता हेतु आवेदन के पूर्व निम्न पूर्तियाँ कराई जावे :-

3/ संस्था कालेज कोड 28 के अन्तर्गत नियुक्तियों आवश्यक रूप से कर ले।

3/ विश्वविद्यालय संबद्धता देने के पूर्व उक्त बिन्दु की पूर्ति सुनिश्चित कर ले, अन्यथा यह अनुमति
स्वीकार्य निरस्त मानी जायेगी।

4/ उक्त पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित नहीं होने की स्थिति में यह अनुमति/अनुशंसा
प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा।

5/ अशासकीय महाविद्यालय से संबंधित सामान्य शर्तें एवं नियम यथावत रहेंगे। संस्था द्वारा कोई
जानकारी देने की स्थिति में अनुमति स्वमेव अमान्य मानी जावेगी।

6/ संस्था को मार्गदर्शिका के बिन्दु 5.3(1)(2) अनुसार अंतर की राशि का मूल चालान प्रस्तुत करना
अनिवार्य होगा।

7/ महाविद्यालय को सत्र 2010-11 की विश्वविद्यालय की संबद्धता प्राप्त करने के पश्चात हो
उपरोक्त सत्र 2011-12 की अनुमति मान्य होगी।

(आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित)

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी

उच्च शिक्षा, मध्य प्रदेश

भोपाल, दिनांक- 25/6/11

क्रमांक 2077 /533/आउशि/संबद्धता/11

प्रतिलिपि:- सूदनार्थ व योग्य आवश्यक कार्यवाही हेतु-

1. प्रमुख सचिव/सचिव, मध्य प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, भोपाल

2. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा भोपाल - होशंगाबाद संभाग भोपाल।

3. प्राचार्य, अग्रणी शासकीय महाविद्यालय सीहोर।

4. प्राचार्य, अशासकीय श्री सत्यसाई इस्टी. आफ मैनेजमेंट सीहोर।

संस्था अपनी वेबसाइट निर्मित कर उस पर जारी अनुमति एवं विश्वविद्यालय की संबद्धता
अनिवार्य रूप से प्रकाशित करें।

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी

उच्च शिक्षा, मध्य प्रदेश